रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 351] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 26, 1972/श्रावण 4, 1894

No. 351] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 26, 1972/SRAVANA 4, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July 1972

S.O. 506(E).—Whereas under sub-section (1) of section 72 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), read with sub-section (3) thereof, the Board constituted under the Sikh Gurdwaras Act, 1925 (Punjab Act 8 of 1925), shall, on and from the first day of November, 1966, continue to function and operate in those areas in respect of which it was functioning and operating immediately before that day, subject to such directions as may, from time to time, be issued by the Central Government, until other provision is made by law in respect of the said Board;

And whereas under sub-section (2) of the said section 72, any such direction may include a direction that any law by which the said Board is governed shall, in its application to that Board have effect, subject to such exceptions and modifications as may be specified in the direction;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-sections (2) and (3), of the said section 72, the Central Government hereby directs that the Sikh Gurdwaras Act, 1925 (Punjab Act 8 of 1925), shall have effect, as from the date of issue of this notification, subject to the following further modifications, namely:—

Section 115.—In sub-section (1), for the words "State Government", the words "Government of the State of Punjab" shall be substituted.

Section 116.—In sub-sections (1) and (4), for the words "State Government", wherever they occur, the words "Government of the State of Punjab" shall be substituted.

Section 118.—In sub-section (2), for the words "State Government", the words "Government of the State of Punjab" shall be substituted.

Section 121.—In sub-section (2), for the words "State Government", the words "Government of the State of Punjab" shall be substituted.

Section 122.—In sub-sections (1) and (5), for the words "State Government", wherever they occur, the words "Government of the State of Punjab" shall be substituted.

[No. F. 17/10/72-SR.]

K. R. PRABHU, Jt. Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1972

का० आ० 506 (अ).—यत: पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 72 की उपधारा (3) के साथ पठित उसकी उपधारा (1) के अधीन स्थिति यह है कि सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 (1925 का पंजाब अधिनियम सं० 8) के अधीन गठित बोर्ड नवम्बर 1966 के प्रथम दिन से, उन क्षेत्रों में, जिनकी बाबत वह उस दिन के ठीक पहले कार्य करता था, ऐसे निदेशों के अधीन रहते हुए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर दिए जाएं तब तक कार्य करता रहेगा जब तक उक्त बोर्ड के बारे में विधि द्वारा अन्य उपबन्ध न किया जाए ;

और यत: उक्त धारा 72 की उपधारा (2) के अधीन ऐसे किसी निदेश के अन्तर्गत ऐसा निदेश भी हो सकेगा कि कोई विधि, जिसके द्वारा उक्त बोर्ड शासित होता हो, उस बोर्ड को लागू होने में, ऐसे अपवादों और उपान्तरों के सहित, प्रभावी होगी जो उस निदेश में विनिर्दिष्ट हों ;

अत:, अब उक्त धारा 72 की उपधारा (2) और (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा निदेश देती है कि सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 (19"5 का पंजाब अधिनियम सं० 8) इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से, निम्नलिखित और उपान्तरों के सहित प्रभावी होगा, अर्थात् :—

धारा 115—उपधारा (1) में "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर "पंजाब राज्य की सरकार" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 116—उपधारा (1) और (4) में, जहां भी "राज्य सरकार" शब्द आए हैं, उनके स्थान पर, "पंजाब राज्य की सरकार" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 118—उपधारा (2) में, "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर, "पंजाब राज्य की सरकार" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 121—उपधारा (2) में, "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर "पंजाब राज्य की सरकार" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 122—उपधारा (1) और (5) में, जहां भी "राज्य सरकार" शब्द आए हैं, उनके स्थान पर, "पंजाब राज्य की सरकार" शब्द रखे जाएंगे।

[सं० फा० 17/10/72-एम० आर०]

के० आर० प्रभु, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972